राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिकता शिविर

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिये विशेष **शिविर** आयोजित करने जा रही है।

मुख्य बिंदु

- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को **भारतीय नागरिकता देने के नियम तथा प्रक्रियाएँ सरल कर दी गई हैं।** अब ज़िला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 तक **राज्य में 2,329 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।**
- वर्तमान में **कुल 1,566 आवेदन लंबित हैं।** इनमें से 300 मामलों में आसूचना ब्यूरो (इंटेलिजेंस ब्यूरो) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment ACT- CAA) **पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह गैर-मुस्लिम समुदायों **(हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई)** को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है।
- यह विधेयक **छह समुदायों** के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
    - दोनों अधिनियमों में देश में **अवैध रूप से प्रवेश करने** तथा **समाप्त हो चुके वीज़ा और परमिट** पर यहाँ रहने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-citizenship-camps-for-minority